राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)

क्रमांक एफ 70( ) ग्रावि/नरेगा/प्रशि./का.शा.पिपलान्त्री/2014-15 जयपुर, दिनांकः 31 AUG 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :-**ग्राम पंचायत पिपलान्त्री मॉडल पर कार्य करवाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्राम पंचायत पिपलान्त्री, जिला राजसमन्द में दिनांक 16.05.2015 को महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कन्वर्जेन्स विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में किया गया था। इस कार्यशाला में राजसमन्द जिले के जनप्रतिनिधियों, एवं प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, एवं निदेशक, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग ने तथा जिलों के महात्मा गांधी नरेगा योजना से जुडे हुए अधिकारी/लाईन विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

कार्यशाला के सम्भागियों को दस समूह में बांटा गया तथा प्रत्येक समूह द्वारा ग्राम पंचायत पिपलान्त्री का भ्रमण कर ग्राम पंचायत पिपलान्त्री में हुए विकास के कार्यो का अध्ययन किया गया। उक्त अध्ययन में पाया गया है कि ग्राम पंचायत पिपलान्त्री में विकास के उल्लेखनीय कार्य हुए है।

इस संबंध में राज्य के समस्त जिलों में पिपलान्त्री मॉडल पर महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत एवं अन्य विभागों, योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स के माध्यम से जिलों के गॉवों में निम्नानुसार कार्यो को चिन्हित कर 2-3 माह के अन्दर यह कार्य करवाये जानें सुनिश्चित करें :-

1. बांस, एलोवीरा, औषधीय पौधे एवं अन्य फलदार पौधो का रोपण किया जाए।
2. चैकडेम, चारागाह विकास के कार्य करवाये जाएं।
3. पर्यावरण में सुधार के कार्य करवाये जाएं।
4. बेरोजगार युवक युवतियों को आजीविका मिशन के तहत चयन कर रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाए।
5. गांवों के प्रगतिशील किसानों का चयन कर कृषि आधारित गतिविधियों यथा ग्रीन हाऊस, पोली हाऊस, उन्नत बीज उत्पादन, जैविक खाद, जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिकलर सिंचाई एवं फलोंधान आदि में प्रशिक्षण एवं सहायता देकर किसानों का लाभान्वित किया जाए।
6. समाजसेवी संस्थाओं, औद्योगिक घरानों, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं स्थानीय निवासियों से ग्रामीण विकास के कार्यो में सहयोग प्राप्त किया जाए।

भवदीय

28/8/15

(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

D:\Suresh C Sharma\Letter 2013-14 & 2014&15\Letter 2014-15.docx

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि-उद्यानिकी विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
7. निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर।
8. प्रोजेक्ट डॉयरेक्टर, आजीविका मिशन, जयपुर।
9. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) ईजीएस/परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस/वित्तीय सलाहकार, ईजीएस/अधीक्षण अभियंता, ईजीएस/समस्त अधिशाषी अभियंता, मुख्यालय ईजीएस/सहायक निदेशक, आईईसी, ईजीएस।
10. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

28/8/15

(कैलाश चन्द मीणा)
परि. निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस